छत्त गृह निर्माण मण्डल
(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. १७ /संपदा/एफ– /2023 नवा रायपुर दिनांक १२ / ०५ / 2023

// आदेश //

विषयः—**दीर्घ समय से रिक्त चिन्हांकित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को विक्रय योजना के तहत बेस रेट पर विक्रय करने एवं विशेष भाड़ाक्रय योजना तथा One time settlement (एकमुश्त आधार) योजना अंतर्गत संपत्ति विक्रय करने समयावधि में वृद्धि बाबत्।**

———000———

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 73वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 10.04.2023 के एजेण्डा क्रमांक 12 पर पारित संकल्प क्रमांक 2000/12/73/4/2023 में संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, मण्डल की निधि तरलता सुदृढ़ करने हेतु छूट के अंतर्गत रिक्त चिन्हांकित आवासीय/व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय की योजना की अवधि में बढ़ोत्तरी हेतु दिनांक 31.03.2024 तक वृद्धि करते हुए निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. मण्डल के चिन्हांकित परियोजनाओं के बेस रेट को आधार मूल्य मानकर विक्रय ऑफर आधार पर किया जावेगा। संपत्तियों के मूल्य हेतु गणना बेस रेट के साथ समस्त प्रभार जोड़कर की जावेगी। बेस रेट (समस्त प्रभार सहित) को आधार मानते हुए आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में हितग्राही द्वारा आबंटन आदेश जारी होने के पश्चात् एकमुश्त राशि 3 माह के भीतर जमा करने पर 10 प्रतिशत एवं 6 माह के भीतर जमा करने पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट की योजना में बढ़ोत्तरी करते हुए 31 मार्च 2024 तक के आबंटनों पर लागू रहेगी।
2. संपत्तियों का विक्रय बेस रेट (समस्त प्रभार जोड़कर) के आधार पर किया जावेगा। जिसमें पूंजीगत ब्याज की गणना 31/03/2024 के पश्चात् किया जायेगा।
3. बेस रेट (समस्त प्रभार सहित) को आधार मानकर विशेष भाड़ाक्रय योजना में विक्रय की अनुमति दी जाती है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पंजीयन राशि 5% एवं आधिपत्य के पूर्व 30% राशि तीन माह के भीतर जमा करना आवश्यक होगा तथा शेष 65% राशि 5/10/12 वर्ष के मासिक किश्तों में देय होगा। वर्ष का विकल्प हितग्राही द्वारा चयन किया जाएगा।
4. विशेष भाड़ाक्रय योजना में विधवा महिला, शासकीय कर्मचारी निगम/मण्डल के कर्मचारी, शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों के संविदा कर्मचारी, सैनिक/भूतपूर्व सैनिक तथा स्वास्थ्यकर्मी आदि का अंतिम किश्त के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 15% की छूट प्रदान की जाएगी।
5. वन टाईम सेटेलमेंट (एकमुश्त) के तहत् दिए जा रहे छूट की प्रतिपूर्ति विशेष भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित भवनों से 8.15% की दर से ब्याज कर किया जावे।

अन्य सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिकृत किया गया है।

(मण्डल के आदेशानुसार)

14/11/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर

पृ.क्र. 803 /संपदा/एफ— /2023 नवा रायपुर, दिनॉक १३/११/2023

प्रतिलिपिः—

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03,04, रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग—01 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/ कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,04 सेजबहार रायपुर/राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र—रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर /रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
11. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

14/11/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर